सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय,म.प्र

पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल- 462016

फोन-0755-2556916, ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

विषय:- दिनांक 26 मार्च 2025 को आयोजित विभागीय वी.सी का कार्यवाही विवरण।

--0--

दिनांक **26 मार्च 2025** को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं/विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें प्रमुख सचिव महोदया, श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण,संचालनालय एवं जिले के अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित रहे। वीडियो कॉफ्रेसिंग में निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

1. मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। **100** दिवस से लंबित शिकायतों वाले जिलों में जिलेवार जिला अधिकारियों से योजनावार चर्चा कर तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये गये।
2. मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना, दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण योजना, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना, कल्याणी विवाह सहायता योजना, कन्या विवाह योजना एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की गई। उक्त शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये गये।
3. जिला बालाघाट में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शिकायत क्रमांक **26512899** श्री सलमान कुरैशी, **300** दिवस से अधिक समय से लंबित है। उक्त शिकायत में जिला समन्वयक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से चर्चा कर शिकायत के इतने अधिक दिनों तक लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त की गई एवं उक्त शिकायत तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार जिला बालाघाट में योजना अंतर्गत **26** आवेदन निराकरण हेतु स्पर्श पोर्टल पर लंबित है, जिला अधिकारी अनावश्यक जांच के नाम पर प्रकरणों को लंबित रख रहे है, यह स्थिति अत्यंत गंभीर है।
4. प्रमुख सचिव महोदया द्वारा जिला ग्वालियर में लैपटॉप वितरण की शिकायतों में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये जिला ग्वालियर एवं अन्य जिलों को तत्काल निराकरण करने की निर्देश दिये।
5. जिला खण्डवा में माह मार्च में आयोजित समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का प्रकरण चयनित किया गया। समस्त जिला अधिकारियों को अवगत कराया गया कि दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रकरण

File No. 4/3/26/0001/2025-Gen-DSJDW (Computer No. 428162)
Generated from eOffice by AMAN CHANDEL, AG3(AC)-Gen_SJDW, ASSISTANT GRADE - 3, DIRECTORATE OF SOCIAL JUSTICE AND DISABLED WELFARE on 07/04/2025 11:35 am

लगातार समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम में चयनित हो रहे हैं, जिला अधिकारियों द्वारा उक्त योजना के आवेदनों/शिकायतों के निराकरण में विलंब किया जा रहा है। योजना के लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निराकरण लोक सेवा गांरटी अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा में करना सुनिश्चित करें।

6. इसी अनुक्रम में स्पर्श पोर्टल पर दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई। जिलों में अधिक संख्या में आवेदन लंबित पाये गये हैं। जिला कार्यालयों में आवेदन अलग-अलग स्तरों पर अनावश्यक रूप से लंबित पाये गये हैं। जिला अधिकारियों को स्पर्श पोर्टल पर लंबित आवेदनों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये गये।
7. जिला अधिकारियों को यह भी अवगत कराया गया कि विभाग की हितग्राहीमूलक योजनाओं यथा मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं विभिन्न पेंशन योजनाओं की समीक्षा हेतु पोर्टल पर डैशबोर्ड / रिपोर्ट उपलब्ध है, जिला अधिकारी प्रतिदिन उक्त डैशबोर्ड / रिपोर्ट का अवलोकन कर लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। विभाग की समस्त हितग्राही मूलक योजनाएं लोक सेवा के प्रदाय की गारंटी अधिनियम में अधिसूचित है एवं लोक सेवा के प्रदाय की गारंटी अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा में निराकरण ना होने पर अधिनियम में तहत कार्यवाही की जा सकती है।
8. **I got Portal** पर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का पंजीयन एवं अनिवार्यत: **05** कोर्स किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
9. विभाग अंतर्गत दिव्यांगता के क्षेत्र में संचालित शासकीय संस्थाओं में छात्र/छात्राओं की सुविधा एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने तथा भवन संधारण तथा पर्याप्त सफाई व्यवस्था एवं सुरक्षा के संबंध में निर्देशित किया गया।
10. सभी जिलों में हुई सुगम यात्रा के दौरान जो कार्य किए गए उनकी प्रगति एवं फोटो की जानकारी संचालनालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
11. मिशन वात्सलय योजना अंतर्गत जिले के **06** से **18** वर्ष के दिव्यांग बच्चों को आपके जिले के महिला बाल विकास अधिकारियों को उनकी लिस्ट सत्यापन पश्चात भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
12. जिला अलीराजपुर में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु माह अप्रैल **2025** में शिविरों के आयोजन करने हेतु निर्देशित किया गया है।
13. नशामुक्ति कार्यक्रम आयोजन हेतु समस्त जिलों को वर्ष **2019-20** से वर्ष **2023-24**

तक प्रदाय राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालनालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

VISHWAJEET JHARIA
JOINT DIRECTOR

पृ. क्रं**/I/230597/2025** भोपाल**04-04-2025**

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।
2. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त आयुक्त नगर निगम म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
6. समस्त संयुक्त/उप संचालक, मुख्यालय संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरणसंचालनालय म.प्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला-समस्त, म.प्र की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद/नगर पंचायत म.प्र.।
9. समस्त प्रशासकीय अधिकारी, जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, म.प्र.।
10. जिला समग्र संयोजक/समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश।

VISHWAJEET JHARIA
JOINT DIRECTOR

File No. 4/3/26/0001/2025-Gen-DSJDW (Computer No. 428162)
Generated from eOffice by AMAN CHANDEL, AG3(AC)-Gen_SJDW, ASSISTANT GRADE - 3, DIRECTORATE OF SOCIAL JUSTICE AND DISABLED WELFARE on 07/04/2025 11:35 am